भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 415वीं आरजीपी (पूर्व में एनओसी) बैठक का कार्यवृत्त

स्थान - तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, एनएमए

दिनांक एवं समय- 21 नवम्बर, 2023 पूर्वाह्न 12:15 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया;

1. प्रोफेसर किशोर के. बासा अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ***अध्यक्ष***
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री हेमराज आर. कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (वस्तुतः (वर्चुअली) उपस्थित
4. प्रो. एम. कैलाशराव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (वस्तुतः (वर्चुअली) उपस्थित
5. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
6. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01

414वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 02

ऑनलाइन नए मामले

दिल्ली मामला संख्या: 01

(श्रीमती आभा सिंह और श्री देविंदर पाल सिंह, एस-99, पंचशील पार्क, नई दिल्ली)

आवेदक पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सम्पत्ति दस्तावेजों के अनुसार फार्म-1/फार्म-2, स्व-घोषणा और भवन योजना में सभी स्वामियों के नामों का उल्लेख करने और आवेदन पुन: प्रस्तुत के लिए कहते हुए हुए मामले को वापस **भेजने** का निर्णय लिया।

मामला संख्या : 02

(श्री हिमांशु रतन सिंह, परियोजना प्रभारी, लैंडस्केप विभाग, कार्यालय अपर आयुक्त, लैंडस्केप, 11वीं मंजिल, विकास मीनार, आईटीओ, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002 के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण)

भास्कर वर्मा

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी, दिल्ली द्वारा फॉर्म- II में उल्लिखित विवरण के अनुसार बेला रेवेन्यू एस्टेट (घाटा मस्जिद पार्क), नई दिल्ली के खसरा नंबर 152 मिन, 153, 154 और 155 पर व्यापक जन हित में पथ और अस्थायी सार्वजनिक सुविधा संरचनाओं के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। व्यापक जनहित में अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अधीन है। आवेदक को कार्य निष्पादित करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 03

(श्री भागचन्द्र लाखे पुत्र श्री उम्मेदलाल लाखे, वार्ड नं. 09, लोधी मोहल्ला, तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्राधिकरण ने नंबर 501, पटवारी हल्का नंबर 19/60 गांव - लांजी, हल्का और तहसील - लांजी, जिला - बालाघाट में 7.20 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ (मौजूदा) + 1 मंजिल के साथ जीएफ (मौजूदा) =1एफ=47.90 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या : 04

(श्रीमती रामदुलारी बड़गैया पत्नी श्री रामदयाल बड़गैया, वार्ड नं. 09, लोधी मोहल्ला, लांजी, तहसील - लांजी, जिला - बालाघाट, मध्य प्रदेश - 481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्राधिकरण ने पटवारी हल्का नंबर 19/60, खसरा नंबर 501, गांव - लांजी, हल्का और तहसील - लांजी, जिला - बालाघाट में 8.30 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ =1एफ=96.60 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या : 05

(श्री राजेश लाखे पुत्र स्वर्गीय श्री देवराम लाखे, वार्ड नं. 09, लोधी मोहल्ला, लांजी, तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्राधिकरण ने पटवारी हल्का नंबर 19/60, 501, गांव - लांजी, हल्का और तहसील - लांजी, जिला - बालाघाट में 7.20 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ (मौजूदा) + 1 मंजिल के साथ जीएफ (मौजूदा) =1एफ=47.90 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या : 06

(श्री जीतेन्द्र कछवाहे पुत्र श्री मनबोध कछवाहे, वार्ड नं. 07, लांजी, तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क. भवन की ऊंचाई 7.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखी जाएगी।

ख. प्रस्तावित निर्माण स्थल के चार मालिकों द्वारा आवेदक को अधिकृत करने वाली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को उप-पंजीयक कार्यालय में नोटरीकृत/पंजीकृत नहीं किया गया है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का पालन करके संशोधित प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करें।

मामला संख्या : 07

(श्री महेंद्र असतकर पुत्र स्वर्गीय श्री पीताराम असतकर, वार्ड नं. 09, मनेरी फाटक, लांजी, तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्राधिकरण ने पटवारी हल्का नंबर 19/60, 187/262/1/2 गांव - लांजी, हल्का और तहसील - लांजी, जिला - बालाघाट में 7.40 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस,

टैरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=106.93 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या : 08

(श्रीमती अक्कमहादेवी बालिगर, शिद्देदेवपुरा, पुराड ओनी, हावेरी, कर्नाटक-581110)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया क्योंकि प्रस्तावित स्थल का पूरा पता स्व-घोषणा, भवन योजना और फॉर्म II में उल्लिखित नहीं है। आवेदक इसका अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करें।

मामला संख्या : 09

(श्री एन. श्रीकांतमूर्ति पुत्र स्वर्गीय एस.एम. नागन्ना, नंबर 14, महामने, ब्लॉक नंबर 16, जेएसएस नगर, जिला - मैसूर, कर्नाटक -570029)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

1. स्व-घोषणा में प्रस्तावित स्थल का पता उल्लिखित नहीं है।
2. भवन योजना में स्थल का पूरा पता अंकित नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

मामला संख्या : 10

(श्रीमती प्रभावती अनंतराव कुलकर्णी, पत्नी अनंतराव कुलकर्णी, स्टेशन रोड, अंकलकर लेआउट के पास, जागृति कॉलोनी, जिला - विजयपुरा, कर्नाटक, -586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया क्योंकि प्रस्तावित स्थल का पता स्व-घोषणा में उल्लिखित नहीं है। आवेदक इसका अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

मामला संख्या : 11

(श्री इनीशान, चेरायी हाउस, चिरक्कल कट्टकम्पल, पी.ओ., त्रिशूर- 680544)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्राधिकरण ने सर्वेक्षण संख्या 451/4-1, 451/5-1, गांव-कट्टकम्पल, ग्रामपंचायत, त्रिशूर-जिले में 8.90 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 210.36 वर्गमीटर, 1एफ=263.64 वर्गमीटर, स्टेयर रूम 15.66 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या : 12

(श्री शमीर. आर., टाउनशिप कॉलोनी, मकान नंबर 445, अलुनिन्नविला, विझिंजम पी.ओ., तिरुवनंतपुरम - 21)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्राधिकरण ने सर्वेक्षण संख्या 85/16-1, वार्ड नं. 62, गांव-विझिनजाम, तालुक-नेय्याट्टिनकारा, जिला-तिरुवनंतपुरम में 5.95 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 54.88 वर्गमीटर, 1एफ=8.94 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या :13

(श्री अमोल सोमनाथ हबीब, सी.एस.नं. 837, मकान नंबर 792/799, साउथ कसबा, जिला - सोलापुर - 413007, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

1. भवन योजना में प्रस्तावित स्थल का पूरा पता अंकित नहीं है।

2. भवन योजना पर लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट की मुहर नहीं लगी है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से आवेदन पुनः जमा करे।

मामला संख्या :14

(श्रीमती आर. सुमति, नंबर 5, दुरई राज स्ट्रीट, गांधी नगर (ओपीपी), मणिकंदन स्कूल, नागलकेनी, क्रोमपेट, थिरुमुदिवक्कम, चेंगलपेट जिला तमिलनाडु-600044)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को भवन की अधिकतम ऊंचाई 11.16 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन पुनः जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

मामला संख्या :15

(श्री देवरासन, पुत्र नागराजन, 1/100, पल्लीकुडा स्ट्रीट, ईचांगडु, इलौर, चेंगलपेट जिला, तमिलनाडु -603110)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्राधिकरण ने 110 बी/13, थिरुपोरूर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 08.84 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ = 1एफ = 91.97 वर्गमीटर, लिफ्ट मशीन रूम और हेडरूम क्षेत्र = 25.22 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 16

(श्रीमती बृज बाला चावला पत्नी श्री राम किशन चावला, निवासी- स्टेशन रोड तहसील-काशीपुर जिला-उधम सिंह नगर-उत्तराखंड)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने खाता नंबर- 343, खसरा नंबर-328/1 रकबा- 0.048 हेक्टेयर, मौजा-उज्जैन, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में 08.80 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ तीन मंजिला (भूतल तल / स्टिल्ट तल + प्रथम तल + द्वितीय तल) के साथ जीएफ/स्टिल्ट फ्लोर =

305.32 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 226.38 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखंड की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 17

(श्री विनय अरोडा पुत्र श्री धर्मवीर अरोडा एवं श्रीमती श्वेता अरोडा पत्नी श्री विनी अरोडा, निवासी हाउस नंबर-35 पुराना आवास विकास तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर-उत्तराखंड)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने भू खाता नंबर- 580, खसरा नंबर-328/2 न्यूनतम रकबा-0.023 एचटीसी और खसरा नंबर 328/ पर 2 रकबा-0.009 इत्यादि। कुल रकबा - 0.032 हेक्टेयर, मौजा-उज्जैन, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में 08.83 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ तीन मंजिला (भूतल/ स्टिल्ट तल + प्रथम तल + द्वितीय तल) के साथ जीएफ/स्टिल्ट फ्लोर = 206.42 वर्गमीटर, 1एफ = 206.42 वर्गमीटर, 2एफ = 189.32 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति **देने** की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखंड की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 18

(श्री अनिल खत्री पुत्र स्वर्गीय श्री मनोहर लाल खत्री श्रीमती हर्ष खत्री पत्नी श्री अनिल खत्री , निवासी- डी-1, डी-2, सिविल लाइंस, रुदरपुर, तहसील काशीपुर जिला: उधम सिंह नगर-उत्तराखंड)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने भू खाता नंबर- 593, खसरा नंबर-328/2 न्यूनतम रकबा-0.024 खसरा नंबर- 328/2 न्यूनतम रकबा- 0.009 हेक्टेयर, कुल रकबा-0.033 एवं खसरा संख्या-323/7 न्यूनतम रकबा-0.001 हेक्टेयर। खसरा नंबर-328/2 रकबा-0.004 हेक्टेयर, कुल रकबा-0.005 आदि। कुल योग रकबा-0.038 हेक्टयर। कुल रकबा=0.032 हेक्टेयर, मौजा-उज्जैन, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, में 08.83 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी,

पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ तीन मंजिला (भूतल/ स्टिल्ट तल + प्रथम तल + द्वितीय तल) के साथ जीएफ/स्टिल्ट तल = 1एफ = 2एफ = 192.99 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति **देने** की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखंड की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 19

(श्री विकास चंद्र डोबरियाल पुत्र श्री महेश चंद्र डोबरियाल, निवासी-558 वार्ड नंबर-03 आवास विकास सुभाष नगर तहसील काशीपुर, वर्तमान पता द्रोणासागर बिहार काशीपुर जिला उधम सिंह नगर-उत्तराखंड)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने भू खाता संख्या-158, खसरा संख्या-47 न्यूनतम, रकबा- 0.011 हेक्टेयर और रकबा- 0.004 हेक्टेयर। कुल रकबा = 0.015 हेक्टेयर, मौजा-उज्जैन, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, में 08.87 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ दो मंजिला (भूतल + प्रथम तल) जीएफ = 91.10 वर्गमीटर, 1एफ = 79.80 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखंड की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 20

(अब्दुल हमीद जागीरदार और हमीदुल्ला डी मुजावर, दरबार हाउस जुम्मा मस्जिद रोड के पास, बीजापुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने सीटीएस नंबर- 379,380,381,382, वार्ड नंबर IV, जुम्मा मस्जिद रोड, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में 4.40 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, रेन

वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 86.04 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश **करने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 21

(श्री कुशलकुमार गुंडप्पा कांबले, डॉलर्स कॉलोनी, आदिलशाही नगर, विजयपुरा-586101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने पी नंबर: 227, एस एन: 153/डी, महलबगायत, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में 7.60 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 63.00 वर्गमीटर, 1 एफ = 66.50 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 22

(प्रमोद और आनंद, पुत्र रमेश खरांडे, सी/ओ टीएसटी ओपी, सोनार बौडी रोड, विजयपुर -586101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने **आवेदक को** इमारत की अधिकतम ऊंचाई 10.50 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन पुनः जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया।**

मामला संख्या: 23

(डॉ. लक्ष्मण एच बिदारी और श्रीमती शोबा एल बिदारी , सी/ओ अश्विनी हॉस्पिटल, बीएलडीई रोड, विजयपुर -586101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने **आवेदक को** इमारत की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर(सब मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन पुनः जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया।**

मामला संख्या: 24

(श्री नागराज मल्लिकार्जुन निम्बल, मकान नं:-204, अनुग्रह हाउस, कनकदास बडावने, विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने पी - 73, एसवाई नंबर - 304/1+2/बी, बीजापुर, कर्नाटक में 7.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 89.32 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 25

(श्रीमती सुम्मैया पत्नी मोहम्मद आरिफ, पत्नी एमएन हुलकोटी एडवोकेट, मुश्रीफ नगर, केईबी के पीछे, विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने सीटीएस नंबर - 451/2, 452 और 453/1, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में 7.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ सेलर + जीएफ + 1 तल के साथ सेलर = 34.08 वर्गमीटर, जीएफ = 1 एफ = 34.08 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

अनुपालन मामले

मामला संख्या: 26

(श्री सेल्वाराजन, 24/1, शिवसैलम स्ट्रीट, थियागराया नगर, चेन्नई - 600017)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने क्रमांक सं. 36/1बी, 36/1सी पर, 36/1डी, सिथलप्पकम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु, में 13.07 की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 2 तल के साथ स्टिल्ट = 1एफ = 2एफ = 185.06 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र = 9.94 वर्गमीटर, लिफ्ट मशीन रूम = 5.20 वर्गमीटर के

तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया । सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है । आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 27

(श्री डी विजयकुमार, सुपुत्र दास, नं.254, कम्मावरपालयम, गोविंदवाडी कम्मावरपालयम, कांचीपुरम, तमिलनाडु-631502)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्राधिकरण ने टीएस संख्या: 2525/2ए, 2बी, 2सी, 2डी 2ई और 2524/1ए1, 2524/1ए2, 2524/1ए3, दरवाजा नं. 39बी, 39बी/1, 39बी/3, 39बी/4, 39बी/5, सलाई स्ट्रीट, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 08.61 की कुल ऊंचाई के साथ (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 87.44 वर्गमीटर, प्रस्तावित छत का तलक्षेत्र (सीढ़ीयां एवं हेडरूम) = 10.79 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 62.19 आरएम के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया । सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है । आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 28

(उप निदेशक, उप शिक्षा निदेशक का कार्यालय सिविल स्टेशन, पलक्कड़, केरल - 678001)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने पलक्कड़ स्थित शैक्षिक परिसर में 17.85 की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 4 तलों के साथ जीएफ = 1 एफ =2एफ = 3एफ = 405.00 वर्गमीटर, छत तल=138.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ शैक्षिक परिसर भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।